

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम० के० सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2042/पांच/2000 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 29.9.2000 पारित द्वारा - अपर आयुक्त, सागर
संभाग, सागर - प्रकरण क्रमांक 164 अ6/1995-96 अपील
(यह आदेश निगरानी प्र.क्र. 208-एक/2002 पर भी लागू होगा)

- 1- सूरीवाई पुत्री स्व. फुलिया लोधी पत्नि दाउ
- 2- सुन्दीवाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि हीरालाल
दोनों ग्राम गढरा तहसील नागौद जिल सतना
- 3- मुस.जसोदावाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि
हरीप्रसाद ग्राम सिजहटी तहसील नागौद
जिला सतना मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- लल्लू 2- गिरजादीन पुत्रगण फुलिया लोधी
- 3- पन्नीवाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि रंगीलाल
ग्राम तिलहड़ी तहसील गुन्नौर जिला पन्ना

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण 1.2. के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक 3 के अभिभाषक श्री कुंअर सिंह कुशवाह)


अ त दे श

(आज दिनांक 1 - 12 - 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के
प्रकरण क्रमांक 164 अ6/1995-96 अपील में पारित आदेश
दिनांक 29.9.2000 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ प्रकरण का सारौश यह है तहसीलदार गुन्नौर के प्रकरण
क्रमांक 51/अ-6/93-94 में पारित आदेश दिनांक
5-10-1994 के एंव ग्राम तिलहड़ी की नामान्तरण पंजी के

१२



सरल क्रमांक 9 पर राजस्व निरीक्षक गुनौर द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 24-12-96 के विरुद्ध आवेदिकाओं ने अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के समक्ष अपील क्रमांक 5/अ-6/94-95 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम तिलहड़ी स्थित कुल किता 26 कुल रकबा 10.050 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि महिला प्यारी वाई के नाम थी, जिस पर वह माँ के साथ खेती करते आ रही हैं । इसी भूमि से संबंधित तहसीलदार गुनौर के समक्ष फुलिया ने आवेदन देकर रिकार्ड सुधार का निवेदन किया जो प्रकरण क्रमांक अ-6/88-89 से निरस्त हुआ। इसी बीच फुलिया ने राजस्व निरीक्षक गुनौर से मिलकर उन्हें सूचना दिये बिना नामान्तरण पंजी क्रमांक 9 वर्ष 88-89 में आदेश दिनांक 24-12-90 से आवेदकगण का नाम निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को अपनी रखैल पत्नि के पुत्र अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के नाम करा दिया, जिसकी कोई सूचना आवेदिकाओं को नहीं दी गई। तहसीलदार न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में सुधार वावत् आवेदन दिया गया था जो आदेश दिनांक 5-10-94 को खारिज कर दिया गया , जिसके कारण राजस्व निरीक्षक गुनौर द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 9 वर्ष 88-89 में दिये गये आदेश दिनांक 24-12-90 तथा आदेश दिनांक 5-10-94 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने अपील क्रमांक 5/अ-6/94-95 दर्ज की एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.3.96 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.1990 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-10-94 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गुनौर को निर्देश दिये कि वादग्रस्त खाते की भूमि को आवेदिकाओं के

42



नाम दर्ज किया जावे। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 164/अ-6/1995-96 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29.9.2000 से अपील आंशिकरूप से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.6.96 में आंशिक सुधार करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.1990 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-10-94 निरस्त किये गये तथा निर्णीत किया कि :-

- अतः मैं पाता हूँ कि उपरोक्त भूमि प्रतिअपीलार्थी क्र. 1,2 एवं 3 की मॉ प्यारीवाई के नाम से खाता था तथा उसके पति फुलिया लोधी के नाम से भी खाता था। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न खसरा नं. जो अपील मेमो में दर्शाए गए हैं, के अनुसार उक्त ख.नं. सभी फुलिया लोधी एवं मुस. प्यारीवाई की भूमि है। अतः उक्त भूमि का कुल रकबा 11.497 है। होता है तथा कुल खसरा नंबर 29 होते हैं। इन खसरा नंबरों का परीक्षण किया जावे कि वे विक्रय तो नहीं किये गये हैं। यदि नियमानुसार विक्रय कर दिये गये हैं तथा नामान्तरण हो चुका हो तो शेष भूमि पर कंडिका 9 में दर्शाये गये कानूनी वारिसानों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जायें।*

अपर आयुक्त,सागर. संभाग सागर द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित

fr




है कि राजस्व निरीक्षक गुनौर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 24.12.90 पारित किया है जिसके अनुसार सुरी, सुन्दरी, यसोदा का नाम खाते से प्रथक कर दिया एवं फुलिया पुत्र मटरु लोधी का नाम यथावत् कर दिया गया। कारण यह अंकित किया है कि तीनों बहिनों की शादी हो चुकी है एवं वह समस्त भूमि अपने पिता फुलिया के नाम करा रहीं है सहमति वावत् तीनों बहिनों की निशानी अगुष्ट लगा है। इस संबंध में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 29.9.2000 में निष्कर्ष दिया है कि सहमति के आधार पर पारित आदेश अपील योग्य नहीं है जो उचित प्रतीत होता है।

5/ प्रकरण की तह में जाने पर ज्ञात होता है कि मृतक फुलिया लोधी के तीन पत्नियों रहीं है


1. प्रथम विवाहिता पत्नि प्यारी उर्फ हलकीवाई-जिसके तीन पुत्रियां क्रमशः 1- प्यारीवाई 2- सुंदीवाई 3- यशोदावाई हैं।
2. दूसरी पत्नि सुकरतीवाई है जिससे दो पुत्र 1- लल्लू 2- गिरजादीन एवं दो पुत्री 3- चिंता 4- बल्ली इस प्रकार चार संतानें है।
3. तीसरी पत्नि सुकबरिया वाई है जिससे एकमात्र पुत्री पन्नीवाई है।

उक्त से स्पष्ट है कि मृतक फुलिया लोधी के तीन पत्नियों से 6 पुत्रियां एवं 2 पुत्र पैदा हुये हैं। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुये एवं उसकी संतान के जीवित रहते हुये द्वितीय एवं तृतीय विवाह अथवा रखैल पत्नियों से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में विरासत प्राप्त है।



हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में द्वितीय पत्नि एवं तृतीय पत्नि को उत्तराधिकारिता प्राप्त नहीं है किन्तु उनसे उत्पन्न संतान को वही हक प्राप्त है जो प्रथम पत्नि को संतान को है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा आदेश दिनांक 29.9.2000 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 164 अ6/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2000 विधिवत होने से स्थिर रखा जाता है।



(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

for